



LATEST NEWS


Election

Date : 22nd Jan. 2026


Office of Chief Electoral Officer
Rajasthan

<https://election.rajasthan.gov.in/>

Follow us on:



CEORAJASTHAN



बीएलए और कार्यकर्ताओं से किया संवाद राजनीतिक दुर्भावनावश मतदाता सूची से नाम हटाए तो कांग्रेस करेगी विरोध: पायलट

पत्रिका न्यूज नेटवर्क

patrika.com

टोंक. कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और टोंक विधायक सचिन पायलट ने कहा कि यदि राजनीतिक दुर्भावनावश मतदाता सूची से मतदाताओं के नाम काटे गए तो कांग्रेस विरोध करेगी।

उन्होंने केंद्र सरकार पर कहा कि मतदाता गहन पुनरीक्षण के जरिए वास्तविक मतदाताओं के नाम एक राजनीतिक दल के फायदे के लिए हटाए गए हैं। जिसकी शिकायत कांग्रेस ने हाल ही दिल्ली



एवं जयपुर में की है। पायलट बुधवार को टोंक आए थे। उन्होंने निजी मैरिज गार्डन में कांग्रेस के बीएलए व कार्यकर्ताओं की कार्यशाला में कई टिप्स दिए।



22 January 2026

'Names of voters are being deleted from electoral rolls'

First India Bureau

Tonk

Congress leader Sachin Pilot on Wednesday alleged that complaints were being received from across Rajasthan about the deletion of names from the electoral rolls ahead of their final publication.

Interacting with the media in Tonk, Pilot said several irregularities were being reported before the final voter list was published. He said it was the responsibility of the Election Commission to ensure the process was carried out in a fair and



Congress leader Sachin Pilot addressing the party workers in Tonk.

impartial manner.

Pilot alleged that names of genuine voters were being deleted even after submission of Form 7 and claimed the exercise was being carried

out with political malice. He said the Congress would strongly oppose any attempt to remove voters' names and would resist what he termed the possibility of vote theft.



कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव, पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट ने बुधवार को टोंक में एसआईआर की निगरानी में लगे कार्यकर्ताओं को सम्बोधित किया।

वोट का अधिकार छीनने की कोशिश को स्वीकार नहीं किया जाएगा- पायलट

सचिन पायलट ने टोंक में कांग्रेस पार्टी के बीएलए की मीटिंग में भाग लिया

टोंक, 21 जनवरी। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव, पूर्व उपमुख्यमंत्री एवं टोंक विधायक सचिन पायलट के एक दिवसीय टोंक दौरे पर रहे। सचिन पायलट का टोंक पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण में सतर्कता के लिए लगाये गये कांग्रेस पार्टी के बीएलए की बैठक को सम्बोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यह निर्वाचन आयोग का दायित्व है कि देश के प्रत्येक नागरिक के मताधिकार को सुरक्षित रखे। उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई भी नागरिक अपने मताधिकार से वंचित न रहे। आज देश में कई जगहों से ऐसी खबरें आ रही हैं कि राजनैतिक हित साधने के उद्देश्य से मतदाता सूचियों से सैकड़ों लोगों के नाम काटने या जोड़ने के लिए बी.एल.ओ. पर अनाश्यक दबाव बनाया जा रहा है। ऐसे अनुचित दबाव के चलते कई स्थानों पर तो बी.एल.ओ. आत्महत्या जैसा कदम उठाने को भी मजबूर हो गये हैं। वोट देने का अधिकार हमारी सबसे बड़ी पूंजी है और कोई इसे छीनना चाहेगा तो

- कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव व पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कार्यकर्ताओं से कहा कि जब तक मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन नहीं हो जाता, हमारा कार्य पूर्ण नहीं होगा। दस्तावेज के अभाव में किसी भी वैध मतदाता का नाम मतदाता सूची से नहीं कटे, यह हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है।

उसे कतई स्वीकार नहीं किया जायेगा।

पायलट ने कहा कि राहुल गांधी द्वारा प्रमाण सहित उजागर की गई मतदाता सूचियों की गड़बड़ियों और बिहार चुनाव में निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली से साफ हो गया है कि निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता संदेह के घेरे में है। ऐसे में अपने मताधिकार की रक्षा के लिए हमें जागरूक रहना होगा। उन्होंने टोंक में लगे बी.एल.ओ. के कार्य की सराहना करते हुए कहा कि आपने एस.आई.आर. के कार्य में जो हिम्मत, होसला, संयम और सजगता का परिचय दिया है, उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। उन्होंने कहा कि जब तक मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन नहीं हो जाता, तब तक हमारा कार्य पूर्ण

नहीं हुआ है। दस्तावेज के अभाव में किसी भी वैध मतदाता का नाम मतदाता सूची से न कटे, यह हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है।

बैठक के दौरान पीसीसी सचिव सुमित गर्ग, नवनिर्वाचित कांग्रेस जिला अध्यक्ष सऊद सईदी, निवर्तमान जिला अध्यक्ष हरिप्रसाद बैरवा, पीसीसी उपाध्यक्ष रामविलास चौधरी एवं सभी बीएलए मौजूद रहे। इस दौरान एसआईआर के द्वितीय चरण को लेकर बीएलए की कार्यशाला का आयोजन हुआ। बैठक के बाद सचिन पायलट ने टोंक में पूर्व विधायक कमल बैरवा के नवीन प्रतिष्ठान होटल ओम साई का उद्घाटन तथा पार्षद हरेन्द्र सांसी के नए पेट्रोल पंप का शुभारंभ किया।

प. बंगाल : सुनवाई की समयसीमा बढ़ा सकता है चुनाव आयोग

लकाता, 21 जनवरी (एजेंसी) : चुनाव आयोग ने संकेत दिया है कि गणना पत्रों में संभावित विसंगतियों में सुधार के लिए सुनवाई की अंतिम तिथि और अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन की समय-सीमा बढ़ाई जा सकती है, हालांकि इस पर अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

चुनाव आयोग के सूत्रों ने बताया कि यह घटनाक्रम शीर्ष अदालत द्वारा निर्वाचन नामावलियों में 'तार्किक विसंगतियों' वाले मतदाताओं की सूची के प्रकाशन और सत्यापन को लेकर विस्तृत निर्देश जारी किए जाने के बाद सामने आया है। फिलहाल, आयोग ने सुनवाई के लिए सात फरवरी को अंतिम तिथि तय की है, जबकि अंतिम मतदाता सूची 14 फरवरी को प्रकाशित की जानी है। हालांकि, आयोग के सूत्रों के अनुसार, उच्चतम न्यायालय के आदेश को देखते हुए सुनवाई की समय-सीमा और अंतिम सूची के प्रकाशन की तारीख दोनों को आगे बढ़ाया जा सकता है।

अदालत के फैसले के अनुरूप, चुनाव आयोग नए दिशा-निर्देश जारी करने वाला है। यह घटनाक्रम सोमवार को मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण

■ अंतिम मतदाता सूची जारी होने में हो सकती है देरी

1.4 करोड़ लोगों को जारी किए हैं नोटिस

चुनाव आयोग के सूत्रों के अनुसार, पश्चिम बंगाल में लगभग 1.4 करोड़ लोगों को एसआईआर प्रक्रिया के तहत दस्तावेज सत्यापन के लिए नोटिस जारी किए गए हैं। इतनी बड़ी संख्या में मतदाताओं के शामिल होने और उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित नई समय-सीमाओं को देखते हुए अधिकारियों ने ऐसा संकेत दिया है कि सुनवाई की अवधि बढ़ाने पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है, जबकि आयोग अदालत के निर्देशों के अनुरूप अपनी समय-सारिणी को तैयारी कर रहा है।

(एसआईआर) से संबंधित सुनवाई के दौरान उच्चतम न्यायालय के निर्देश के बाद हुआ, जिसमें शीर्ष अदालत ने निर्वाचन आयोग के लिए 'तार्किक विसंगतियों' वाले मतदाताओं की सूची प्रकाशित करना अनिवार्य कर दिया था।

लोकतंत्र को मजबूत करने की कुंजी है शुद्ध मतदाता सूची : सीईसी

नई दिल्ली, 21 जनवरी (एजेंसी) : मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने विपक्षी दलों द्वारा मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) पर सवाल उठाए जाने की प्रतिक्रिया में बुधवार को कहा कि शुद्ध मतदाता सूची लोकतंत्र को मजबूत करने की कुंजी है। उन्होंने यहां चुनाव प्रबंधन निकायों के एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए इस बात का उल्लेख भी किया कि पिछले साल बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान मतदाताओं को शामिल करने या उनके नाम हटाने को चुनौती देने वाली एक भी शिकायत दर्ज नहीं की गई थी। कुमार ने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव के दो चरणों में एक लाख मतदान केंद्रों में से एक पर भी पुनर्मतदान का आदेश नहीं दिया गया था। उन्होंने इस बात पर जोर दिया, 'कानून के अनुसार प्रत्येक मतदाता सहित शुद्ध

■ चुनाव प्रबंधन निकायों के सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को किया संबोधित




मतदाता सूची, लोकतंत्र को मजबूत करने और उस मतदाता सूची के आधार पर होने वाले सभी चुनावों के लिए आवश्यक है।' उन्होंने कहा कि गहन सार्वजनिक छानबीन के बीच बिहार में मतदाता सूची को संशोधित किया गया।

उनके मुताबिक, मतदाता सूचियों के शुद्धीकरण से लेकर चुनावों के संचालन तक, स्थानीय चुनाव मशीनरी द्वारा बड़े स्तर की दक्षता हासिल की गई। विपक्ष के दल एसआईआर को लेकर भाजपा सरकार और निर्वाचन आयोग पर हमला करते रहे हैं और आरोप लगाते रहे हैं कि यह चोटों में हेरफेर करने का कदम है। हालांकि, सरकार और चुनाव आयोग ने इस आरोप से इनकार किया है।

वृद्ध की मौत, परिवार ने SIA को ठहराया जिम्मेदार

कोलकाता : उत्तर 24 परगना जिले में एक बुजुर्ग व्यक्ति की मौत के बाद परिवार ने आरोप लगाया कि एसआईआर कवायद को लेकर विवाद के कारण उन्हें दिल का दौरा पड़ा, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बुधवार को बताया कि मृतक की पहचान सहर अली मंडल के रूप में हुई है। वह एक परिवार के पांच सदस्यों में से एक थे, जिन्हें एसआईआर के तहत नोटिस मिला था और बुधवार को सुनवाई के लिए आयोग के सम्मक्ष पेश होना था। घटना मंगलवार रात हारोआ के पूर्व मदारतला गांव में घटी। परिवार के सदस्यों का दावा है कि नोटिस मिलने के बाद से ही मंडल गंभीर मानसिक तनाव में थे, उन्हें मतदाता सूची में अपने बेटों के नामों की स्थिति और संभावित कानूनी या प्रशासनिक जटिलताओं की चिंता सता रही थी। यह घटना एक राजनैतिक विवाद में तब्दील हो गई है, जिसमें सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस का आरोप है कि एसआईआर प्रक्रिया को लेकर फैले भय के कारण राज्य भर में कई मौतें हुई हैं। तृणमूल कांग्रेस के स्थानीय पंचायत सदस्य स्वपन मंडल ने एसआईआर प्रक्रिया को तत्काल रोकने की मांग की और भाजपा पर निर्वाचन आयोग के माध्यम से इस प्रक्रिया का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया। भाजपा ने इन आरोपों को खारिज करते हुए एसआईआर प्रक्रिया और मौत के बीच किसी भी तरह के संबंध से इनकार किया।

भारत बना वैश्विक लोकतंत्र का केंद्र, आईआईसीडीईएम का हुआ भव्य शुभारंभ बीएलओ लोकतांत्रिक व्यवस्था के बुनियादी स्तंभ: सीईसी



नई दिल्ली। मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार ने कहा कि बूथ लेवल ऑफिसर्स (बीएलओ) भारत में चुनाव आधारित लोकतांत्रिक व्यवस्था के बुनियादी स्तंभ हैं, प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में शामिल करना बीएलओ की अहम जिम्मेदारी है और लोकतंत्र की मजबूती एक शुद्ध, समावेशी और पारदर्शी मतदाता सूची पर निर्भर करती है। भारत को लोकतंत्र की जन्मी बताते हुए ज्ञानेश कुमार ने कहा कि भारतीय लोकतांत्रिक परंपराएं हजारों वर्ष पुरानी हैं। उन्होंने अथर्ववेद के श्लोक और 600 ईसा पूर्व के अशोक स्तंभ का उल्लेख करते हुए ग्राम सभाओं और सामूहिक निर्णय की प्राचीन भारतीय अवधारणा की ओर ध्यान दिलाया।

भारत एक डेमोक्रेसी एटलस पर भी कार्य कर रहा

भारत मंडपम में आयोजित भारत अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और निर्वाचन प्रबंधन सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि भारत एक डेमोक्रेसी एटलस पर भी कार्य कर रहा है, जो विभिन्न देशों में लोकतंत्र और चुनावी प्रक्रियाओं के स्वरूप को दर्शाएगा, आईआईसीडीईएम के माध्यम से भारत ने एक बार फिर यह सिद्ध किया है कि वह न केवल दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, बल्कि वैश्विक लोकतांत्रिक संवाद का नेतृत्व करने में भी सक्षम है। उल्लेखनीय है कि लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन के क्षेत्र में भारत द्वारा आयोजित यह अब तक का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है, जिसमें 70 से अधिक देशों के लगभग सौ प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। तीन दिवसीय इस सम्मेलन में 40 से अधिक द्विपक्षीय सत्र आयोजित किए जाएंगे, जिनमें वैश्विक स्तर पर चुनावी चुनौतियों और उनके समाधान पर चर्चा होगी। सम्मेलन में 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारी, देश-विदेश के विशेषज्ञ, विद्वान और शैक्षणिक संस्थानों के प्रतिनिधि भी भाग ले रहे हैं।

दूसरे चरण में 5.32 लाख से अधिक बीएलओ

ज्ञानेश कुमार ने कहा सम्मेलन में इस बात पर जोर दिया कि कानून के अनुसार प्रत्येक मतदाता सहित शुद्ध मतदाता सूची, लोकतंत्र को मजबूत करने और उस मतदाता सूची के आधार पर होने वाले सभी चुनावों के लिए आवश्यक है। उनके मुताबिक, मतदाता सूचियों के शुद्धीकरण से लेकर चुनावों के संचालन तक, स्थानीय चुनाव मशीनरी द्वारा बड़े स्तर की दक्षता हासिल की गई है। सीईसी ने बताया कि देश के नौ राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों में चल रहे स्पेशल इंटींसिव रिवीजन (एसआईआर) के दूसरे चरण में 5.32 लाख से अधिक बीएलओ और अन्य अधिकारी मतदाता सूची के शुद्धीकरण के कार्य में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि भारत में औसतन हर पोलिंग बूथ पर लगभग 970 मतदाता होते हैं और उनकी जिम्मेदारी सीधे तौर पर बीएलओ पर होती है।

एसआईआर में दावे और आपत्तियां

नाम कटाने में कांग्रेस पीछे, भाजपा ने किए 1800 गुणा आवेदन

ब्यूरो/नवज्योति, जयपुर। राजस्थान में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया के तहत दावे-आपत्तियों की अंतिम तिथि 19 जनवरी को समाप्त होने के बाद निर्वाचन विभाग ने महत्वपूर्ण आंकड़े जारी किए हैं। जारी आंकड़ों में नाम जोड़ने और कटाने के लिए भाजपा ने कांग्रेस की तुलना में 1800 गुणा अधिक आवेदन किए हैं।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के आंकड़ों के अनुसार ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशन के बाद प्राप्त कुल दावों और आपत्तियों में नाम हटाने के लिए 1,39,674 आवेदन प्राप्त हुए, जबकि नए नाम जोड़ने (इनक्लूजन) के लिए 10,92,959 दावे दाखिल किए गए। इनमें से जनता की ओर से सीधे नाम कटाने के लिए 1,17,691 फॉर्म जमा हुए, जबकि राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट्स (बीएलए) ने अतिरिक्त आपत्तियां दर्ज कीं।

बीजेपी के 2,316 बीएलए ने 21,971 नाम हटाने और 316 जोड़ने का दावा किया

भाजपा के 2,316 बीएलए ने 21,971 नाम हटाने और 316 जोड़ने के दावे किए, वहीं कांग्रेस के 11 बीएलए ने 185 नाम जोड़ने और 12 हटाने के आवेदन दिए। कुल मिलाकर, नाम हटाने के दावे 1.39 लाख से अधिक रहे, जबकि जोड़ने के दावे 10.93 लाख के करीब पहुंचे। इन आंकड़ों के अनुसार मतदाता सूची से नाम कटाने के मामलों में कांग्रेस की तुलना में भाजपा करीब 1800 गुणा आगे रही है।

दावों का सत्यापन अनिवार्य घोषणाओं के आधार पर

यह प्रक्रिया 16 दिसंबर 2025 को जारी ड्राफ्ट रोल (करीब 5.04 करोड़ मतदाता) पर आधारित थी, जहां पहले चरण में 41.85 लाख से 42 लाख नाम विभिन्न कारणों (मृत्यु, प्रवास, डुप्लिकेट आदि) से हटाए गए थे। दावे-आपत्ति अवाधि में प्राप्त आवेदनों की सख्त कानूनी जांच के बाद ही अंतिम निर्णय होगा। निर्वाचन विभाग ने स्पष्ट किया कि सभी दावों का सत्यापन फॉर्म 6, 6ए और 7 के साथ अनिवार्य घोषणाओं के आधार पर किया जाएगा।

पूरे प्रकरण की निष्पक्ष एवं पारदर्शी जांच की मांग

मतदाता सूची से नाम हटाने के विरोध में कांग्रेस ने सौंपा ज्ञापन

बालोतरा/नवज्योति। जिला कांग्रेस कमेटी के प्रतिनिधिमंडल ने जिला कलेक्टर से मुलाकात कर विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया के दौरान हो रहे फर्जीवाड़े को लेकर ज्ञापन सौंपा तथा पूरे प्रकरण की निष्पक्ष एवं पारदर्शी जांच की मांग की। इस दौरान बालोतरा कांग्रेस जिलाध्यक्ष प्रियंका मेघवाल ने कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के नाम पर चुनिंदा वर्गों के मतदाताओं को निशाना बनाकर उनके नाम मतदाता सूची से हटाने का प्रयास किया जा रहा है, जो पूरी तरह अलोकतांत्रिक है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी मताधिकार से किसी भी प्रकार का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करेगी और जरूरत पड़ी तो आंदोलन का रास्ता अपनाया जाएगा। बायतु विधायक एवं मध्यप्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी ने कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया में चुनाव आयोग के नियमों की खुली



अवहेलना की जा रही है। बिना ठोस कारणों के और बड़ी संख्या में फॉर्म-7 जमा कराए जा रहे हैं, जो यह दर्शाता है कि यह प्रक्रिया सुनियोजित तरीके से प्रभावित की जा रही है। उन्होंने प्रशासन से निष्पक्षता बनाए रखने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल ने कहा कि

मतदाता सूची लोकतंत्र की रीढ़ होती है और उससे छेड़छाड़ सीधे लोकतंत्र को कमजोर करने का प्रयास है। यदि समय रहते इस फर्जीवाड़े पर रोक नहीं लगाई गई, तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। उन्होंने चेतावनी दी कि जनता के अधिकारों से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी स्तर पर

बख्शा नहीं जाएगा। पूर्व विधायक मदन प्रजापत ने कहा कि SIR प्रक्रिया के तहत संबंधित BLO द्वारा मात्र एक माह पूर्व स्वयं सत्यापन किया गया था, जिसमें यह पुष्टि हुई थी कि संबंधित मतदाता पचपदरा विधानसभा क्षेत्र के स्थायी निवासी हैं और उनके नाम 2002 एवं 2025 की मतदाता सूची में दर्ज हैं।

इसके बावजूद उन्हीं मतदाताओं के खिलाफ आपत्तियाँ लिया जाना गंभीर संदेह पैदा करता है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के नियम स्पष्ट हैं कि झूठी आपत्ति करने पर मुकदमा दर्ज होता है और एक वर्ष तक की सजा का प्रावधान है, जबकि अधिकांश आपत्तियाँ निराधार पाई गई हैं। इस दौरान बालोतरा कांग्रेस जिलाध्यक्ष प्रियंका मेघवाल, बायतु विधायक हरीश चौधरी, बाड़मेर जैसलमेर बालोतरा सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल, पचपदरा के पूर्व विधायक मदन प्रजापत, भगवत सिंह जसोल, मुकनसिंह राजपुरोहित, लक्ष्मण राम डेलु, पूर्व सभापति रतनलाल खत्री, मेहबूब खान सिंधी, गिरधारी लाल चौधरी, छगन जोगसन, श्रवण सुन्देशा, खेराजराम हुड्डा अयूब कुरैशी, रमेश पटेल, श्रवण पटेल टापरा, ठाकराराम गोदारा दुदवा, सलीम खिलेरी, राजू राम गोल, चंपालाल सुन्देशा, रामेश्वर प्रजापत, एजाज अली सहित पार्टी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित

बीएलओ विश्नोई राज्य स्तर पर होंगे सम्मानित

नवज्योति/गुड़ामालानी । मौखावा खुर्द
बीएलओ भजन लाल विश्नोई राज्य स्तरीय
समारोह में सम्मानित होंगे।

16वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर



राजस्थान
सरकार के
निर्वाचन
विभाग द्वारा
25 जनवरी
2026 को
राज्य स्तरीय
समारोह का
आयोजन

जयपुर स्थित राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में किया जाएगा। इस समारोह में जिले के गुड़ामालानी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत मौखावा खुर्द (भाग संख्या 268) के बीएलओ (बूथ लेवल ऑफिसर) भजन लाल विश्नोई को मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण कार्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए राज्य स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। भजन लाल विश्नोई का चयन मतदाता सूचियों के शुद्धिकरण एवं अद्यतन कार्य में सराहनीय भूमिका निभाने के लिए किया गया है। उनके सम्मान की सूचना मिलते ही पूरे गुड़ामालानी क्षेत्र सहित मौखावा खुर्द में खुशी का माहौल है। क्षेत्रवासियों ने इसे जिले के लिए गर्व का विषय बताया है।

एसआईआर: विधायक हरीश चौधरी, सांसद बेनीवाल ने सौंपा ज्ञापन

‘निष्पक्ष, पारदर्शी जांच कर कार्रवाई करें’

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

बालोतरा @ पत्रिका. बालोतरा जिला कांग्रेस कमेटी के प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया में बालोतरा जिले में मतदाता सूची से नाम हटाए जाने के मामलों को लेकर जिला कलक्टर को ज्ञापन सौंपा। विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया में कथित फर्जीवाड़े करने को लेकर पूरे प्रकरण की निष्पक्ष, पारदर्शी जांच की मांग की। बालोतरा कांग्रेस जिलाध्यक्ष प्रियंका मेघवाल के नेतृत्व में बाड़मेर-जैसलमेर-बालोतरा सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल, बायतु विधायक एवं मध्यप्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी आदि जनों ने ज्ञापन सौंपा।

कांग्रेस जिलाध्यक्ष प्रियंका मेघवाल ने कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के नाम पर चुनिंदा वर्गों के मतदाताओं को निशाना बना उनके नाम मतदाता सूची से हटाने का प्रयास किया जा रहा है, जो पूरी तरह



बालोतरा में जिला कलक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए सांसद व पदाधिकारी।

अलोकतांत्रिक हैं। कांग्रेस मताधिकार से किसी भी प्रकार का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करेगी। आवश्यकता पड़ने पर आंदोलन करेगी। बायतु विधायक हरीश चौधरी ने कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया में चुनाव आयोग के नियमों की खुली अवहेलना की जा रही है। बिना ठोस कारणों के बड़ी संख्या में फॉर्म-7 जमा कराए जा रहे हैं। जो इस बात का संकेत है कि यह प्रक्रिया सुनियोजित तरीके से प्रभावित की जा रही है।

मतदाता सूची से छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं

निष्पक्षता बनाए रखते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल ने कहा कि मतदाता सूची लोकतंत्र की रीढ़ होती है। उससे छेड़छाड़ कर लोकतंत्र को कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है। जनता के अधिकारों से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी स्तर पर बख्शा नहीं जाएगा। पचपदरा

पूर्व विधायक मदन प्रजापत ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया के तहत संबंधित बीएलओ ने मात्र एक माह पूर्व स्वयं सत्यापन किया। इसमें पुष्टि हुई थी कि संबंधित मतदाता पचपदरा विधानसभा क्षेत्र के स्थाई निवासी हैं। उनके नाम 2002, 2025 की मतदाता सूची में दर्ज हैं। बावजूद उन्हीं मतदाताओं के खिलाफ आपत्तियां लिया जाना गंभीर संदेह पैदा करता है। कांग्रेस लोकतंत्र, मताधिकार पर हो रहे इस सुनियोजित हमले को किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करेगी।

इस अवसर पर भगवत सिंह जसोल, मुकनसिंह राजपुरोहित, लक्ष्मण डेलु, पूर्व सभापति रतनलाल खत्री, मेहबूब खान सिंधी, गिरधारी लाल चौधरी, छगन जोगसन, श्रवण सुन्देश, खेराजराज हुड्डा, अयूब कुरैशी, रमेश पटेल ठाकराराम गोदारा दुदवा, राजू गोल, चंपालाल सुन्देश, रामेश्वर प्रजापत, एजाज अली सहित पदाधिकारी कार्यकर्ता उपस्थित थे।

जिले में मतदाता सूची से नाम हटाने के मामले को लेकर कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने सौंपा ज्ञापन मतदाता सूची लोकतंत्र की रीढ़, इसमें छेड़छाड़ करना लोगों की भावनाओं से खिलवाड़: सांसद

भास्कर न्यूज | बालोतरा

बुधवार को जिला कांग्रेस कमेटी के प्रतिनिधिमंडल ने कलेक्टर से मुलाकात कर विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान हो रहे फर्जीवाड़े को लेकर ज्ञापन सौंपा तथा पूरे प्रकरण की निष्पक्ष एवं पारदर्शी जांच की मांग की। इस दौरान बालोतरा कांग्रेस जिलाध्यक्ष प्रियंका मेघवाल ने कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के नाम पर चुनिंदा वर्गों के मतदाताओं को निशाना बनाकर उनके नाम मतदाता सूची से हटाने का प्रयास किया जा रहा है, जो पूरी तरह अलोकतांत्रिक है। बायतु विधायक हरीश चौधरी ने कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया में चुनाव आयोग के नियमों की खुली अवहेलना की जा रही है।

सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल ने कहा कि मतदाता सूची लोकतंत्र की रीढ़ होती है और उससे छेड़छाड़ सीधे लोकतंत्र को कमजोर करने का प्रयास है। उन्होंने चेतावनी दी कि जनता के अधिकारों से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी स्तर पर बख्शा नहीं जाएगा। पूर्व विधायक मदन प्रजापत



बालोतरा . कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते सांसद, विधायक व पूर्व विधायक।

ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया के तहत संबंधित बीएलओ की ओर से मात्र एक माह पूर्व स्वयं सत्यापन किया गया था, जिसमें यह पुष्टि हुई थी कि संबंधित मतदाता पंचपदरा विधानसभा क्षेत्र के स्थायी निवासी हैं और उनके नाम 2002 एवं 2025 की मतदाता सूची में दर्ज हैं। इसके बावजूद उन्हीं मतदाताओं के खिलाफ आपत्तियां लिया जाना गंभीर संदेह पैदा करता है। इस दौरान बालोतरा कांग्रेस जिलाध्यक्ष प्रियंका मेघवाल, बायतु विधायक हरीश चौधरी, सांसद उम्मेदाराम

बेनीवाल, पूर्व विधायक मदन प्रजापत, भगवतसिंह जसोल, मुकनसिंह राजपुरोहित, लक्ष्मण डेलु, पूर्व सभापति रतनलाल खत्री, मेहबूब खां सिंधी, गिरधारीलाल चौधरी, छगन जोगसन, श्रवण सुंदेसा, खेरजराम हुड्डा, अयूब कुरैशी, रमेश पटेल, श्रवण पटेल टापरा, ठाकराराम गोदरा दुदवा, सलीम खिलेरी, पूर्व पंचायत समिति सदस्य राजूराम गोल, चंपलाल सुंदेसा, रामेश्वर प्रजापत, एजाज अली सहित पार्टी पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे।

निर्वाचन आयोग की एसआईआर प्रक्रिया को लेकर रालोपा ने सौंपे बीएलए-2 के फॉर्म



बायतु, एसडीएम को ज्ञापन सौंपते हुए रालोपा कार्यकर्ता।

बायतु | निर्वाचन आयोग की ओर से संचालित विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाने की दिशा में रालोपा की ओर से ब्लॉक बायतु एवं बाटाड़ क्षेत्र के समस्त मतदान केंद्रों के बीएलए-2 फॉर्म उपखंड अधिकारी बायतु को सौंपि गए।

भंवरलाल साई पनावड़ा ने बताया कि निर्वाचन आयोग की यह विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया मतदाता सूचियों को त्रुटिरहित, अद्यतन एवं पारदर्शी बनाने के

उद्देश्य से चलाई जा रही है, ताकि कोई भी पात्र मतदाता अपने संवैधानिक मतदान अधिकार से वंचित न रह जाए। रालोपा की ओर से जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं के माध्यम से मतदाता सूची की जांच कर आवश्यक फॉर्म प्रस्तुत किए गए हैं। रालोपा नेता जालाराम पलीवाल ने कहा कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी लोकतंत्र की मजबूती के लिए निरंतर कार्य कर रही है। पार्टी निर्वाचन आयोग की प्रत्येक प्रक्रिया में पूर्ण सहयोग करते हुए आमजन के मताधिकार की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।